मौद्रिक नीति संबंधी वक्तब्य -2010-2011 के पैराग्राफ 113 और 114 का अंश/के उद्धरण

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफायसी अधिनियम), 2002 के अंतर्गत स्थापित प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्निर्माण कंपनियाँ: विनियमन में परिवर्तन/ संशोधन

113. भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों (एससी/ आरसी) के परामर्श से इन कंपनियों को जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा अनुदेशों की समीक्षा की है। तदनुसार इन मार्गर्शीसिद्धांतों में निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव है:

- एससी/आरसी परिसंपत्तियों का अपनी बहियों में या अपने द्वारा स्थापित ट्रस्ट की बहियों में सीधे अर्जन कर सकती हैं।
- एससी/आरसी द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों की वसूली अवधि को उनका निदेशक बोर्ड पांच वर्ष से आगे कतिपय शर्तों के अंतर्गत बढ़ा सकता है। परिसंपत्तियाँ/प्रतिभूति रसीदें जो पांच वर्ष या आठ वर्ष , जैसा भी मामला हो, के अंत में वसूल न हों /प्रतिदेय (मोचित) न हों को अब से हानिगत परिसंपत्तियाँ माना जाएगा।
- एससी/आरसी के कार्यों/परिचालनों में पारदर्शिता और बाजार अनुशासन लाने के दृष्टिकोण से, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष के दौरान वसूल हुई परिसंपत्तियों, वर्ष के अंत तक वसूल न हो सकी वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य, अदायगी के लिए लंबित प्रतिभूति रसीदों के मूल्य के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण के निर्धारण किये गये हैं।

- 114. इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत 30 अप्रैल 2010 तक जारी किए जाएं।